International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 13 Issue 9|| September 2024 || PP.138-145

राष्ट्र–निर्माण में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की भूमिका पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार

Sunny Kumar
Research Scholar, Department of political Science, University of Lucknow. Lucknow.

सारांश

किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए शिक्षित होना परम् आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का एक बड़ा वर्ग भूखमरी, गरीबी और पिछड़ेपन आदि विकाल समस्याओं से ग्रसित था जिसके कारण शिक्षा का प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना कठिन था। शिक्षा केवल उच्च जातियों या धनी वर्गों तक ही सीमित थी, जिसके कारण समाज में असमानता, भेदभाव और जातीय उत्पीड़न चरम पर था।डॉ भीमराव अम्बेडकर ने इन सभी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया और अपने शोध कार्य और लेखों के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और वंचित वर्गो के उत्पीड़न और पिछड़ेपन के लिए भारतीय समाज में व्यापत सामाजिक बुराइयों के लिए अशिक्षा प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं।एक मजबूत भारत के लिए समाज के लिए समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा पर बल दिया। ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा पहुंच सके।उनका मानना था कि जब तक कमजोर वर्ग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वास्तविक राजनैतिक सत्ता को हासिल करना असंभव है, इसलिए उन्होंने राजनैतिक आंदोलन से पहले शिक्षा के विस्तार को महत्व दिया। अम्बेडकर ने तत्कालीन सरकार से समय–समय पर शिक्षा का बजट बढ़ाने, छात्रों को छात्रवृति देने, छात्रावास खोलने की मांग की। अम्बेडकर ने शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक एवं तकनीकि विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के नैतिक ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान तथा मानवीय मूल्यों के प्रसार को महत्व देते हुए अनेक कॉलेज, छात्रावास खोलने का कार्य किया।यह शोध पत्र अनुसूचित जाति व जनजाति, महिलाओं तथा वंचित वर्गों तक समतामूक एवं समावेशी शिक्षा विस्तार करने में अम्बेडकर के राष्ट्र–निर्माण से प्रेरित विचारों वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्ययन पर लिखा गया है।

मुख्य शब्द : *शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला,, राष्ट्र निर्माण , अम्बेडकर*

Date of Submission: 15-09-2024 Date of Acceptance: 30-09-2024

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिये उसके नागरिकों में एकता और बंधुत्व से प्रेरित राष्ट्रीयता की भावना का जाग्रत का होना अपरिहार्य है। राष्ट्रीयता की भावना को जन–जीवन तक पहुंचाने में शिक्षित एवं अनुभवी नागरिकों को होना बहुत आवश्यक है जो समय–समय पर राष्ट्र को मार्गदर्शित करे तथा अभिप्रेरित करे। शिक्षा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसी के माध्यम से सामान्य नागरिक अपने गौरवशाली इतिहास, भौगोलिक पहचान, उसकी संस्कृति, सभ्यता और कला व धर्म आदि को सही तरह से जान सकता है।भारत का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, कला एवं सभ्यता के दृष्टिकोण से समृद्ध रहा है जिसका कारण है, भारतीय ऋषि मुनियों और दार्शनिकों द्वारा उत्तमशिक्षा प्रणाली को विकसित करना। शिक्षा मन्दिर, आश्रमों और गुरुकुलों तथा बौद्ध शिक्षा केंद्रों जैसे तक्षशिला एवं नालांदा आदि के माध्यम से दी जाती थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ शिक्षा प्राप्त करने के उददेश्य परिवर्तित होते रहे है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा से लेकर वाणिज्य, युद्ध आदि की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के भिन्न उददेश्यों के साथ शिक्षा की परिभाषा और अर्थ दृष्टिकोण भी बदलता रहा है। शिक्षा से तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रकिया प्रयोग से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते है एवं उसके पथ प्रदर्शक बनते है। यह प्रकिया सीखनें के रूप में बचपन से चलती है एवं जीवनपर्यन्त चलती रहती है। जिसके कारण मनुष्य के ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहती है। यदि हम प्राचीन भारत पर विचार करे तो प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया है जो अज्ञान दूर कर, सत्य के दर्शन कराने में सहायकहोता हैं। विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें निर्धारित उददेश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये जाते है। इस प्रकार संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल पुस्तकीय शिक्षा तक सीमित है। व्यापक अर्थ में टी. रेमण्ड के अनुसार शिक्षा का विकास बाल्यवस्था से परिपक्वास्था तक नितन्तर चलता रहता है एवं शिक्षा में मनुष्य अपने आपको आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, शिक्षा

एक ऐसी सामाजिक और प्रगतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों को विकसित करके उसके व्यक्तितत्व को निखारती है एवं सामाजिक वातावरण के साथ सामांजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया, व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराते हुये उसके विचार एवं व्यवहार में मौलिक परिवर्तन लाती है। शिक्षा को विभिन्न मत, विचारकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण प्राप्त करने को शिक्षा कहा गया है, वही जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने को शिक्षा कहा गया है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क का निर्माण है वहीं प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का उद्धातन शिक्षा है वहीं डॉ भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोत्तम विकास शिक्षा है। पूर्व में शिक्षा केवल कुछ वर्ग तक ही सीमित थी औरआधुनिक काल में शिक्षा के नये स्वरूप अर्थात शिक्षा के समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। इसका अर्थ हैं कि सभी बच्चों की शिक्षा एक ही विद्यालय में हो। कक्षा का प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है। कक्षा एक लघु समाज होता है, जहॉ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसेः बुद्धिमान, सुस्त, भावात्मक रूप से बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम आदि। यदि हम एक ही प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाऍ तो कक्षा का एक बड़ा भाग वंचित रह जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से युक्त एक कक्षा में शिक्षण कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशन के दर्शन को न केवल एक कक्षा विशेष के अध्यापक द्वारा बल्कि पूरे विद्यालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरा शिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे के लिए सार्थक और प्रासंगिक बन सके। सभी वर्गों के छात्रों को शिक्षा का लाभ मिल सके। भारत में समय के साथ शिक्षा के समावेशन करने के लिए अनेक संवैधानिक एवं सांविधानिक प्रयास किये गए है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचार

भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कायाकल्प में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में प्रत्येक माध्यम से महत्वपूर्ण एवं अतुलनीय भूमिका निभायी। अम्बेडकर हमारे महानतम कानूनविदों और शिक्षाविदों में से एक थें। उनका भारत के संविधान की रचना और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे देश कृतज्ञता से याद करता है। वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले और उच्च कोटि के नेता थे; वह हमें देश की आज की तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाते हैं। अम्बेडकर ने हमारी राजनीति में गहन उदार मूल्यों को प्रोत्साहित किया और समाज में सामाजिक चेतना जाग्रत करने का कार्य किया। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। उनके द्वारा भारतीय समाज और भारतीयों राज्यों व गांवों की बुराइयों की पहचान तथा उनके बताए उपचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक ह जितने जब थे। उन्होंने ने वर्णव्यवस्था के आधार पर शिक्षा प्राप्ति का विरोध किया तथा सदियों से चली आ रही पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया। उन्होंने वर्णव्यवस्था के नियमों को पूर्णतया अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन बताया। जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता जिनकी जड़े वर्णव्यवस्था में है, का विरोध करते हुए अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। भारतीय समाज के परंपरागत् विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके, उसे समता तथा बंधुत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करते हुए उन्हे जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा साथ ही दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक सफलतापूर्ण प्रयास किया। उनके अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से अत्याधिक पिछड़ी है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंताजनक हैं। अम्बेडकर ने बाल्यकाल से ही अपमान और सामाजिक कुरूोतियों से लड़ते हुए वैश्विक स्तर के शैक्षिक संस्थाओं से ज्ञान प्राप्त की, जिसके कारण उन्हें शुरू से शिक्षा के महत्व का आभास हो गया था। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से इसलिए दूर है क्योकि समाज में फैली कुप्रथाओं यथा– अस्पृश्यता, जातिवाद, धार्मिक रूढ़िवादिता, क्षेत्रवाद जैसी आदि भावनाएं समाज में द्वन्द्व की स्थिति बनाए रखती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय अन्यायपूर्ण एवं मानवाधिकारों से वंचित जातिबद्ध पुरानी सामाजिक व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने में दिया। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने जाना कि कठिन परिश्रम, दृढ़निश्चय, उच्चतम साहस व स्वार्थरहित त्याग के बल पर, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है।शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि आप कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करो। हमेशा सजग, ताकतवर, सुशिक्षित और आत्म–सम्मान से ओत–प्रोत रहे, ताकि आप सफलता प्राप्त कर, उसे कायम भी रख सके। उन्होंने यह भी कहां कि यह देखो कि कम–से–कम आपके बच्चे उस भयानक जीवन से मुक्त रहे, वे आपसे ज्यादा शिक्षित हो। अछूतों को अपने पैतृक व्यवसाय छोड़कर शिक्षित होने पर जोर देना चाहिए, ताकि उनको शहर में रोजगार के साथ बेहतर सम्मानपूर्ण भविष्य प्राप्त हो सके। हमे पुराने रीति रिवाज, अवैज्ञानिक परंपराओं को छोड़कर नए भारत का निर्माण करना है। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते समय अम्बेडकर के तीन लक्ष्य थे। पहला, प्रत्येक अस्पृश्यके घर शिक्षा का प्रसार करना; दूसरा, सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों के लिए अधिकारिक प्रतिनिधित्व; तीसरा, गॉवों में रहने वाले असंख्य अस्पृश्यों की दशा में सुधार।उनके जनसंवाद में सदैव ही शिक्षा, मानवाधिकार, एकता का महत्व, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और परिधान संहिता केंद्रित रही है। अम्बेडकर ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को भारत के संविधान में भी प्रदर्शित किया। भारतीय संविधान में भाग 4 में वर्णित नीति–निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45, भारत में रहने वाले सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गो के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देशित करता हैं। साथ ही 86वें संविधान संशोधन, 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय–वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21क के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। संशोधित निदेशक तत्व में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21क तथा 86वां संविधान संशोधन देश में सर्वशिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। प्रत्येक बच्चों को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारम्भिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय, जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो, में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी शिक्षा प्रदान प्राप्त किया जा सके। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षिक संस्थाएं राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते है। सरकार को कमजोर वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नही जा सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक या भाषायी, को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है तथा राज्य इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को वित्त प्रदान करने में किसी भी तरह का विभेद नही करेगी। अनुच्छेद 350अ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान करता है। नागपुर में 20 जुलाई, 1942 को दिए भाषण में उन्होंने शिक्षित बनों, संगठित रहों और संघर्ष करो के नारे के साथ स्वयं पर विश्वास करना और उम्मीद कभी न छोड़ने का आग्रह किया। मुंबई में 28 मार्च, 1941 को दिए अपने भाषण में कहां कि अछूतों को नागरिक अधिकारों के परिणामों का आनंद लेने की योग्यता प्राप्त करनी होगी। उन्होंने पुनः कहा कि शिक्षित बनो, एक हो जाओ और उन अधिकारों का आनंद लेने की अर्हता हासिल करो, जिसका तुम दावा करते हो। मनमाड, 12 फरवरी, 1938 को शिक्षा की महत्ता पर उन्होंने युवाओं से कहा, कि बिना चरित्र और विनम्रता के एक शिक्षित व्यक्ति वहशी से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे शिक्षित लोग जो गरीबों के कल्याण के विरोधी हैं, वे समाज के लिए अभिशाप हैं। छात्रों को प्रतियोगी, परिश्रमसाध्य और उत्कृष्टा हासिल करने हेतु व्यायसायिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा कि उच्च वर्ग के लोगों से बौद्धिक स्तर पर प्रतियोगिता किए बिना आपकी शिक्षा अनुपयोगी रह जाएगी। केवल डिग्री प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा।समय आ गया जब छात्र छोटे–छोटे समूहों में जनसामान्य के बीच जाऍ और उन्हें तार्किक रूप से जीवन जीना सिखलाऍ। उन्होंने युवाओं को चेताया कि शिक्षा दो–धारी तलवार की तरह है। यदि यह अविवेकवान व्यक्ति के हाथ लग जाए, जिसका कोई चरित्र न हो तो यह समाज के लिए विनाशकारी हो जाएगी। लेकिन यदि शिक्षा किसी चरित्रवान व विनम्र व्यक्ति के हाथ लगे तो वह सामाजिक क्रांति पैदा कर देगा। महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए महाड, 1927 के भाषण में उन्होंने अछूतों के उत्थान में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहां कि आपने हम मर्दो को पैदा किया है, तो आपके बच्चे मानव अधिकारों से वंचित क्यों रहें। हमने केवल एक ही अपराध किया है और वह यह कि हमने आपके गर्भ से जन्म लिया है और इसीलिए हम इस छुआछूत की सजा को भोग रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपके गर्भ से जन्म लेने को पाप क्यों समझा जाता है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर कहा कि, आप घर की देवियां है। यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहते है, तो आपको अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा। अम्बेडकर का दृढ़ यकीन था कि महिलाओं की तरक्की ही प्रगतिशील समाज की पहचान है। उन्होंने जन्म नियंत्रण और महिलाओं की समानता पर जोर दिया। यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए। मनमाड, 1945 में उन्होंने कहां कि हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते है। तकनीकि और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई भी विकास योजना पूरी नहीं होगी। ज्ञान मानव जीवन का आधार है। छात्रो ंको बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखना; साथ ही उनकी बुद्धि को उत्तेजित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। लड़को और लड़कियों दोनो को शिक्षित करें, उन्हें पारंपरिक व्यावसायिक कर्मो में शामिल न करे। प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिक प्रचार सर्वांगीण व्यापक प्रगति के भवन का आधार है। इसलिए शिक्षा के मामले में अनिवार्य कानून बनाया जाना चाहिए। स्वच्छ रहना सीखें और सभी दुर्गुणों से मुक्त रहें अपने बच्चों को शिक्षित करें। उनके मन में धीरे धीरे महत्वाकांक्षा जगाएं। उन्हें विश्वास दिलाएं किवे महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उनके अन्दर ही हीनता को नष्ट करें। उनकी शादी करने में जल्दबाजी न करे। छात्रों को बस्ती बस्ती में जाकर लोगों की अज्ञानता और मुर्खतापूर्ण विश्वासों दूर करना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा से लोगों को कुछ लाभ होगा। अपने ज्ञान का उपयोग केवल परीक्षा उत्तीर्ण होने के करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाईयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति करने के लिए करना चाहिए; तभी भारत समृद्ध होगा। विद्याालय एक पवित्र संस्था हैं जहां परमन सुसंस्कृत होते है। शिक्षा का लक्ष्य लोगों को नैतिक और सामाजिक बनाना है। मै किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। प्रत्येक छात्र को अपने चरित्र का निर्माण प्रज्ञा, शील, करूणा, विद्या और मैत्री इन पंचतत्वों के आधार पर करना चाहिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समय आने पर भूखे हो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए। बच्चों को स्कूल भेजना ही काफी नही है, उन्हें बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने तक स्कूल से जोड़े रखना भी जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उन पेड़ों को खाद पानी देकर सींचना भी जरूरी है, अन्यथा उन्हें मुर्झाने में समय

नही लगेगा। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करे, संघर्ष की सीख दे और आजादी के लड़ना सिखाए। लोगों के जीवन स्तर उठाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। यह भय के स्थान पर तार्किता को बढ़ावा देती है। यह समाज में मानवता की रक्षा हेतु प्रेरित करते हुए ज्ञान और समानता का पाठ पढाती है तथा आजीविका का सहारा बनती है और समाज में जीवन का सर्जन करती है। यह जीवन में वास्तविक प्रगति की कुंजी बनती है। यदि आपके पास 2 रुपये हैं तो एक रुपया की किताब और एक रुपये की रोटी खरीद लो। रोटी आपको जीने में मदद करेगी तथा किताब आपको जीना सिखाएगी। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। अम्बेडकर ने शिक्षा का निम्न मुख्य उददेश्य बताये;

1.शिक्षा प्राप्त करने का प्रथम उददेश्य है चरित्र का निर्माण का निर्माण करना। अम्बेडकर के अनुसार एक चरित्रहीन शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित व्यक्ति के ज्यादा समाज के हानिकारक है। एक छात्र को अपने चरित्र की रक्षा ऐसे करनी चाहिए जैसे एक किसान अपनी फसल की, एक व्यापारी अपने धन की और एक सैनिक अपने शस्त्रों की रक्षा करता है।

2.शिक्षा प्राप्त करने का दूसरा उददेश्य है आत्मविश्वास को जाग्रत करना। एक छात्र सदैव आत्वविश्वासी रहना चाहिए।

3.ज्ञान प्राप्ति के साथ हममें नैतिकता भी होनी चाहिए। नैतिकता के बिना ज्ञान अनुपयोगी है। यदि किसी के पास ज्ञान का अस्त्र है और नैतिक गुण संपन्न भी वह है तो किसी की भी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नैतिक नही है तो ज्ञान के अस्त्रों से दूसरे का विनाश भी कर सकता है। ज्ञान तलवार की तरह है और इसका मूल्य उपयोगकृता जानता है। एक निरक्षर व्यक्ति किसी को भी मूर्ख नही बना सकता है लेकिन एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति तर्कों के प्रयोग से झूठ को सही और सही को झूठ निरूपित कर दूसरों को मूर्ख बना सकता है।

4. आत्म–नियंत्रण के बिना कोई छात्र अपने चरित्र और मूल्यों की रक्षा नही कर सकता है। स्वयं के मन पर नियंत्रण से छात्र बहुत सी बुराईयों से बच जाता है।

5. शिक्षा को प्राप्त करने के साथ छात्र को नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहिए। हमे अपने परिवार, गांव, समाज और देश का नेतृत्व करने का सदैव प्रयास करना चाहिए क्योकि उचित नेतृत्व के बिना परिवार हो या समाज दोनों का विखण्डन स्वाभाविक है।

नई शिक्षा नीति 2020

यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समीति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात अर्थात जी.ई.आर. को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रक्षा गया है। इसमें 5+3+3+4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया है। एन.ई.पी. 2020 के तहत एच.एच.आर.ओ. द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक नेशनल मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। विद्यालयों में सभी स्तरों के छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खोल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सके। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठयक्रम व पाठयेतर गतिविधियों के बीच बहुत अन्तर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठयक्रम व्यायवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीयता शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिये पाठयक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखतें कक्षा 10 और कक्षा 12 की परिक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।एन.ई.पी. 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। एन.ई.पी. 2020 के तहत स्नातक पाठयक्रम में मल्टीपल एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठयक्रम को छोड सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जिसमें 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री शामिल है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा

संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद अर्थात् एचईसीआई की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। देश में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रोद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण सर्मथन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेशनल शैक्षिक प्रोद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मुल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। डिजीटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रोद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजीटल बुनियादी ढॉचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। सामान्य ज्ञान प्रणालियॉ, जिनमें जनजातियॉ एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठयक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहॉ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र के छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगा। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को उत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय मानते हुए सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण–शास्त्र और नीतियों में विविधता व स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान। सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर फोकस ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों का विकास सुनिश्चित हो। शिक्षा को अनुसूचित जातियों के बच्चों तक पहुॅचाना, उनकी भागीदारी बढ़ाना और सीखने के अंतराल को कम करना और अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान देना। आदिवासी समुदायों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष तंत्र की शुरूआत की जाएगी।शैक्षिक रूप से अविकसित समुदायों से संबंघित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। बच्चो के शैक्षिक परिदृष्य को बदलने हेतु शिक्षा क्षेत्र की सभी योजनाओं व नीतियों का पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। एसईडीजी से संबंधित बच्चों और विशेष रूप से छात्राओं के शिक्षा के प्रति विषमता समाप्त करने हेतु लक्षित नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएगी। सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के बच्चों की समस्याओं हेतु समावेशन निधि योजनाओं को विकसित किया जाएगा। स्कूलों में विशेष तौर पर एसईडीजी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, निशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में लड़कियों क्षा 12 तक भगीदारी बढ़ाई जाएगी। एसईडीजी व अल्पसख्यक बच्चों के अधिक निधि व विकसित बुनियादी ढांचाकरने के लिए आकांक्षी जिलों, एसईडीजी व अन्य वंचित क्षेत्रों में अधिक जेएनवी और केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। उच्चतर शिक्षाप्राप्त करने के एसईडीजी वर्ग केमेधावी छात्रों को वित्तीय सुविधाप्रदान की जाएगी। नीतियों और योजनाओं जैसे लक्षित छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, आदि को मजबूत किया जायेगा। एस.ई.डी.जी. से संबंधित बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य अवसरों और योजनाओं के लिए एकल खिड़की प्रणाली अपनाई जाएगी। सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधामुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण के साथ साथ पर्याप्त पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। दिव्यांग बच्चे नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा और गृह आधारित शिक्षा के विकल्प का चयन कर सकते है। गंभीर या एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के पुनर्वास और शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षक द्वारा मदद दी जाएगी। बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशीक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना आदि शामिल है। बी.एड के बाद अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए। सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने को कौशल, लिंग और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना का ज्ञान शामिलहोगा। वैकल्पिक स्कूल के शिक्षकों का क्षमता निर्माण, जिसमें विज्ञान, गणित आदि विषयों समेत नई शैक्षणिक पद्धतियों का ओरिएंटेशन भी शामिल है। उच्चतर शिक्षा में बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाएगा, कम प्रतिनिधित्व की समस्या खत्म की जाएगी। पाठयक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्धयन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं या अन्य प्रासंगिक विषयों को समावेश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि जैसी पर्याप्त पठन सामग्री, और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले माडॅयूल से भारतीय साईन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। भारतीय साईन लैंग्वेज के इस्तेमाल से अन्य बुनियादी विषयों का विकास किया जाए। स्कूल परिसरों में संसाधनों के साझे उपयोंग से बच्चों और एसडीईजी वर्ग के बच्चों को सहयोग व मदद में सुधार करना। स्कूल परिसरों को दिव्यांग बच्चें के समेकन, विशेष शिक्षकों की भर्ती और संसाधन केंद्रों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को स्कूल परिसरों में आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।

साहित्य पुनरावलोकन

साहित्य पुनरावलोकन किसी भी शोध का अत्याधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। किसी भी अनुसंधान को सजीव और सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि उस पर पूर्व में किए गए अनुसंधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए। किसी भी वैज्ञानिक कार्य के लिए विषय से संबन्धित सार्थक साहित्य का पुनरावलोकन करना एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण चरण है। साहित्य पुरावलोकन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर से संबन्धित उन शोध, पुस्तकों, शोध पत्रों को लिया गया जोकि अम्बेडकर के राष्ट्र चिंतन से प्रेरीत है और शोध अध्ययन में लाभकारी है।

1. जाधव, नरेंद्र (2017) ने अपनी पुस्तक 'डॉ अम्बेडकर :आत्मकथा एवं जनसंवाद' में बताया किभारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आधुनिक भारत की नीव रखने में महत्वपूर्ण एवं अनूठी भूमिका निभाई। उन्होंने बचपन से जवानी तक कदम–कदम पर अपमानित, सभी विवशताओं को पार करते हुए वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालयों से उच्चतम डिग्रियां प्राप्त की। अम्बेडकर का राष्ट्र वादकेवल भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण तक सीमित नही था। उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद एक स्थायी प्रकृति के राष्ट्रीय पुनिर्माण का कार्य था अर्थात यह सामाजिक समानता और सांस्कृतिक एकता के जरिए युगों पुरानी जातिग्रस्त, अन्यायपूर्ण, भेदभाव युक्त सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण था।

2. कटारिया, कांता (2017) ने अपनी पुस्तक 'Dr. B.R Vision's of nation building" में बताया कि आधुनिक सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की अपनी व्यावहारिक विचारधारा के कारण पूर्व प्रतिष्ठित है। अम्बेडकर ने वर्तमान अभिरूचियों प्रकट की है जिस पर शायद ही किसी विद्वान ने ध्यान दिया हो। अम्बेडकर का मानना था कि जब तक सामाजिक कुरोतियों को दूर नही किया जाता है तब तक राष्ट्र निर्माण का कार्य सही नहीं हो सकता है।

3. नहर, इमेनुएल (2017) ने अपनी पुस्तक Dr. B.R. Ambedkar's philosophy in contemporary India' में कहां कि डॉ भीमराव अम्बेडकर के लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, लिंग, समानता, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक विश्वास पर विचार वर्तमान समय पर महत्वपूर्ण पक्ष रखते है। हमें अम्बेडकर के विचारों को नगण्य नही मानना चाहिए।

4. तोमर, जे.पी.एस (2010) ने अपनी पुस्तक 'DR. Ambedkar's thought on education' में बताया कि अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से भारत में शिक्षा के द्वार भारत के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के खोल दिये। अम्बेडकर भारत में समावेशी शिक्षा के सही अर्थों में संस्थापक थे।

5. शर्मा, निधि (2020) ने अपनी पुस्तक "Dr. B.R. Ambedkar and His Dream : Education for All" ने बताया कि अम्बेडकर श्रेष्ठ भारत के लिये सभी का शिक्षित होने पर जोर दिया जिसमें समतामूलक शिक्षा को प्राथमिकता ताकि बिना जातिभेद, लिंगभेद व धर्मभेद आदि के समस्त नागरिक शिक्षा प्राप्त कर सके।

शोध उददेश्य

किसी भी शोध कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिये उसके उददेश्य को जानना आवश्यक है। यह शोध पत्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर के समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा पर राष्ट्र निर्माण से प्ररित उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें अम्बेडकर की राष्ट्र दृष्टि का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित शोध कार्य में निम्नलिखित उददेश्यों को दृष्टिगत कर अध्ययन किया गया है–

1. भारत में शिक्षा को समतामूलक एवं समावेशी बनाने में डॉ. अम्बेडकर के कार्यो का अध्ययन करना।

2. उत्तर स्वतंत्रताकाल में एससी, एसटी, महिलाओं और वंचित वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए बनाये गये महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का अध्धयन करना।

3. वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक विकास में आने वाले मुख्य अवरोधों का अध्ययन करना।

4. राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के समतामूलक एवं समावेशी बनाने के महत्व का अम्बेडकर के दृष्टिकोण से अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन विवराणात्मक, तुल्नात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक शोध पद्धतियों पर आधारित है जिसमें प्राथमिक और द्वितियक दोनों स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों का उपयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोतों के अन्तर्गत डॉ. अम्बेडकर और शिक्षा जगत से संबंधित पुस्तकों, लेखों आदि का उपयोग किया जायेगा। द्वितियक स्त्रोतों के अन्तर्गत शोध विषय से संबंधित सन्दर्भ पुस्तकों, प्रमुख शोध पत्रों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों से प्राप्त तथ्यों का उपयोग किया जाएगा।

मुख्य निष्कर्ष

1. एससी, एसटी और महिलाओं की स्थिति में पूर्व से तुल्नात्मक रूप में सुधार आया आया है परंतु भागीदारी रूप से अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ है।

2. दलित वर्ग हेतु डॉ. अम्बेडकर के द्वारा किये गये कार्य तथा उपाय आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने जब थे।

3. राष्ट्र निर्माण में वंचित वर्ग के शैक्षिक विकास की आवश्यकता अन्य देशभक्ति से प्रेरित कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण है।

4. दलित वर्ग से संबंधित महिलाओं को अन्य वर्ग की महिलाओं महिला श्रमिक की अपेक्षा ज्यादा भेदभाव और सामाजिक एवं मानवीय पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ता है।

5. नई शिक्षा नीति 2020 मेंसमतामूलक एवं समावेशी शिक्षा को केंद्र में रखा गया है।

उपसंहार

शिक्षा किसी भी समाज देश की प्रगति के लिए आवश्यक है और यही कारण है डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को अपने द्वारा चलाये गये सभी जन आंदोलनों में प्राथमिक रूप से शामिल किया और इसे सभी मंचों पर प्रमुख रूप से उठाया। अम्बेडकर शिक्षा को राष्ट्रीयकरण का अभिन्न अंग मानते थे। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीयता के लिए हानिकारक है क्योंकि यह केवल कुछ विशेष वर्गो तक ही सीमित है। यदि हम प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र का निर्माण करना चाहते है तो हमे अन्दर से भी मजबूत होना होगा तथा सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना होगा ताकि सभी वर्गो को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो।अम्बेडकर ने समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का नारा दिया, जो आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष उपरांत भी भारतीय समाज के लिये एक गम्भीर चुनौती बनी हुई जिसमें सन्देह नहीं है कि देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े गरीब दलित, आदिवासी और महिलाओं की विशाल जनसंख्या की पीड़ा का मुख्य कारण उनका शैक्षिक पिछड़ापन है क्योंकि देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश के बावजूद भरतीय समाज के एक बड़ी आबादी के जीवन स्तर में कोई आधारभूत सुधार नहीं आया है। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की प्राप्ति के लिए अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया उसकी रूपरेखा निश्चित करना भी कोई सरल कार्य नही है जिसके लिए उन्होंने स्वयं को कटिबद्ध घोषित किया। अम्बेडकर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तथाकथित सिद्धांतों एवं अव्यावहारिक पद्धतियों में सुधार करना था जिनके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अज्ञानता के अन्धकार में जीवन व्यतीत कर रहा था। इस समाज को शेष प्रगतिशील समाज से जोड़कर उनकी उचित भागीदारी करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। साथ ही उन्होंने शिक्षा से संबन्धित सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों से भी सर्वस्वीकृत एवं सुस्थापित शिक्षा प्रणालियों के नवीन अर्थ एवं अभिप्राय प्रस्तुत करने की भी उन्होंने चेष्टा प्रकट की, जिसका प्रयोग उन्होंने रूढ़िवादी समाज के लोगों को आईना दिखाने के लिए किया था। विश्व के तेजी होते वैश्वीकरण और प्रत्येक देश द्वारा आर्थिक हित को सर्वोपरी रखना आदि को देखते हुए, अम्बेडकर द्वारा शिक्षा को ज्ञान, वृद्धि एवं मानषिक विकास के साथ–साथ आजिविका से जोड़ने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का विचार आज ओर भी अधिक प्रासंगिक दिखाई पड़ता है। अम्बेडकर द्वारा शिक्षा में नैतिकता, मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्टीय भावना को शामिल करने का विचार वर्तमान समय में बढ़ती हिंसा, आगजनी और सांप्रदायिकता को रोकने तथा समाज के सभी अंगों में परस्पर सोहार्द और समानता की भावना पैदा करना आदि कारगर उपाय है। अम्बेडकर ने मानवतावादी दर्शन को मूलतः स्वीकार किया जो व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। उनके शिक्षा दर्शन आत्म–प्रेरणा, आत्मविश्वास और सामाजिक समता का मार्ग है जहां भाग्यवादिता तथा ईश्वरीय चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका शैक्षिक चिन्तन मानवीय अस्तित्व को नया आयाम देता है और उसकी सार्थकता को सिद्ध करता है। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा के लिए जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी रूकावट है। अम्बेडकर का मानना था कि व्यक्ति को अधिकार प्रत्याभूत करना अर्थहीन हो जायेगा, यदि उसकी सामाजिक संरचना से असमानता दूर नही की जाती। और उन्होंने शोषित पीड़ित दलित एवं महिलाओं के लिए नये युग का सूत्रपात किया। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपरोक्त वर्ग को विभिन्न संवैधानिक एवं सांविधानिक संरक्षण दिये जाने के बावजूद भी समतामूलक शिक्षा के आदर्श की जो कल्पना की गई थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा के प्रकार में बहुत अधिक भिन्नता है। समग्र शिक्षा के विकास के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का एक मानवीकृत स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते है वर्तमान समय में डिजीटल शिक्षा का महत्व बढ़ गया है जिसका कारण है कि समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा है तथा साथ ही विकास में क्षेत्रीय भिन्नता दिखाई पड़ती हैं। ऐसे भारत सरकार डिजीटल शिक्षा की ओर तेजी से काम कर रही है लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में समुचित इंटरनेट और विद्युत सुविधा उपलब्धता नही हो पाती है। सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए भारत में सरकारी शैक्षणिक संस्थान किफायती है। ये बात अलग है कि उनमें गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की कमी है। सरकार को शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ–साथ उन्हें सभी प्रकार के छात्रों के लिए किफायती बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी, पाठयक्रमों में व्यावहारिकता की कमी, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये किये गए प्रावधान को लागू न किया जाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू न किया

जाना, अवसंरचना का अभाव, शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिग, औद्योगिक शिक्षा को कम महत्व देना, महंगी उच्च शिक्षा, लैंगिक असमानता और प्राथमिक स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव, आदि कारण समावेशी के अवरोध दिखायी पड़ते है। भारत सरकार द्वारा 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में जिस नई राष्टीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका कियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। इस शिक्षा नीति में अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जननाति, महिलाओं, पिछड़ों, वंचित वर्ग, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग छात्रों आदि के साथ साथ थर्डजेंडर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक स्तर को केंद्र में रखकर बनायी गई है। यदि नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाती है तो भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की आशा है। इस शिक्षा नीति का केंद्रीय विषय समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा है जो कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन भर किये गए प्रयासों के अनुकूल है।

संदर्भ ग्रंथ सुची

1. अम्बेडकर, बी.आर.: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1937
2. अम्बेडकर, बी. आरः रानाडे, गॉधी एण्ड जिन्ना, 1943
3. अम्बेडकर, बी, आरः व्हाट कांग्रेस एण्ड गॉधी हैव डन टू अनटचेबिल्स, 1946
4. अम्बेडकर, बी. आरः हू वर द शूद्राज?, 1946
5. अम्बेडकर, बी. आरः स्टेट एण्ड मॉयनोर्टीज, 1947
6. अम्बेडकर, बी. आर.: जाति विच्छेद, 1951
7. अम्बेडकर, बी. आरः राइज एण्ड फॉल ऑफ हिन्दू वुमैनः 1970
8. अम्बेडकर, बी. आरः कास्ट्स इन इण्डिया, 1970
9. कीर, धनंजयः डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जीवन–चरित, 1996
10. कतारिया, कांताः डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वीजन ऑफ नेशन बिल्डिंग, 2017
11. जाधव, नरेंद्रः डॉ अम्बेडकर, सामाजिक विचार एवं दर्शन, 2017
12. जाधव, नरेंद्रः डॉ अम्बेडकर, आत्मकथा एवं जनसंवाद, 2017
13. www.education.gov,in
14. www.mea.gov.in